राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1869/2011/श्रीगंगानगर.

सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नागपाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी, रावला, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 08/05/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा अपील संख्या 13/आअरवेट/श्रीगंगानगर/09–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी है, जो रेकॉर्ड पर ली गयी।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा रायसिंहनगर नामक स्थान पर क्षेत्रीय जल योजना के अन्तर्गत स्टोरेज टैंक, इनलेट चैनल, सम्पवैल, एसएसएफ, जीएलआर, पम्प हाउस का रेजुविनेशन एवं पाईपलाईन आपूर्ति बिछाने एवं जोड़ने तथा पंप सैट की आपूर्ति तथा स्थापना का कार्य विभागीय पत्र दिनांक 25.09.2006 के तहत दिया गया था जो कार्य केवल जल योजना में पानी के पाईपलाईन एवं पंप हाउस से पानी सप्लाई के लिये था। व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63) एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 के तहत करमुक्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन किये जाने पर दिनांक 30.10.2006 को प्रमाण–पत्र जारी किया गया जिसमें करमुक्ति शुल्क की दर गलती से 3 प्रतिशत के स्थान पर 1.5 प्रतिशत दर्शाई गई जिसे पुनः संशोधन कर दिनांक 15.02.2008 के आदेश से उक्त मुक्ति शुल्क अधिसूचना के आईटम संख्या 4 के अनुसार 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क जमा कराने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से यह निर्णय दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का कार्य उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 2 के अन्तर्गत सिविल वर्क माने जाने योग्य है अतः 1.5 प्रतिशत मुक्ति

लगातार.....2

शुल्क निर्धारित की गई, जो पूर्णतया तथ्यों के विपरीत है। कथन किया कि उक्त अधिसूचना में अलग अलग प्रकृति के कार्यों के लिये अलग अलग मुक्ति शुल्क दर निर्धारित है एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी का कार्य उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 2 में अंकित कार्यों से सम्बन्धित नहीं होने से क्रम संख्या 4 के तहत अन्य अवशिष्ट कार्य होने से तीन प्रतिशत की शुल्क दर देय है।

4. रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी के लिखित जवाब पर विचार किया गया। लिखित जवाब के प्रथम पैरा में ही व्यवहारी द्वारा यह बताया गया है कि उन्हें पी.एच.ई.डी. से रूपये 35.22 लाख की संविदा कार्य स्टोरेज टेंक, एस.एस.एफ., एस.जी.एल.आर., पंप हाउस एण्ड रेजुविनेशन एण्ड वाटर सप्लाई पाईपलाईन का कार्य दिया गया था जिसके लिये 1.5 प्रतिशत की दर से करमुक्ति शुल्क प्रमाण–पत्र का आवेदन किया गया था। उनके जवाब के पैरा नं0 3 में इस कार्य को अपीलीय अधिकारी द्वारा Work contract relating to building, road, bridge, dam, canal, sevege system के तहत मानकर 1.5 प्रतिशत की जो मुक्ति शुल्क दर मानी है उसे सही बताया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध वर्क ऑर्डर के अनुसार व्यवहारी को जो कार्य संविदा प्राप्त हुई थी वह जनस्वास्थ्य अभिंयात्रिकी विभाग के लिये वाटर सप्लाई से सम्बन्धित कार्य की थी जिसका अधिसचूना के आईटम संख्या 2 के कार्य जिसमें 'बिल्डिंग' वर्णित है, से कोई सरोकार नहीं है बल्कि क्रम संख्या 4 में अंकित प्रविष्टि अनुसार अन्य कार्यों की प्रकृति में सम्मिलित होने से वह 3 प्रतिशत की दर से ही शुल्क देने के दायी थे। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के विपरीत आदेश पारित करते हुए पाईपलाईन जोड़ने एवं बिछाने के कार्य को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से सम्बन्धित बताया है जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है अतः अपीलीय आदेश को अपास्त किया जाता है एवं कर निर्धारण अधिकारी के शुल्क दर निर्धारण हेतु पारित आदेश दिनांक 15.02.2008 को विधिसम्मत ठहराते हुए उसी क्रम में वर्ष 2006–07 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.01.2009 में 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क आरोपित करने के आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के लिखित बहस में कर निर्धारण अधिकारी के दिनांक 15.02.2008 संशोधन आदेश को इस आधार पर भी अविधिक बताया है कि उन्हें पूर्व में दिनांक 30.10.2006 को जो ई.सी. जारी की गई थी उसमें जो शुल्क दर स्वीकार की गयी थी उसमें रेकॉर्ड की परिलक्षित भूल नहीं होने से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **(2011) 29 टैक्स अपडेट 253 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज** के आलोक में संशोधन

लगातार.....3

योग्य नहीं होने से इस आधार पर भी दिनांक 15.02.2008 का आदेश अपास्त योग्य है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया जाता है कि जिस प्रकृति के कार्य के लिये कर दर 3 प्रतिशत थी उस पर 1.5 प्रतिशत का शुल्क दर निर्धारित करना प्रत्यक्ष रूप से अभिलेख पर परिलक्षित भूल है, जिसे वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत सुधार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत होने से इस आधार पर भी अपील अस्वीकार की जाती है।

6. फलतः राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 24.12.2010 अपास्त किया जाता है एवं इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2008 व 21.01.2009 को पुनर्स्थापित किया जाता है।

7. निर्णय सुनाया गया।

8/5/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य